

2022/192

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अदालत- ..... सहायक कलेक्टर ..... मुकाम- ..... डीडवाना .....


फि- यश प्रताप सिंह पुत्र रूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खाटु खुर्द, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

र्थीगण- आसुसिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी खाटु खुर्द तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैराह।

म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act.

संख्या. 67 सन्-.....2022..

दिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13.2022	<p>प्रार्थी यश प्रताप सिंह पुत्र रूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खाटु खुर्द, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण आसुसिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी खाटु खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैराह के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद खाटु खुर्द के खसरा सं० 1245 जिसके नये खसरा सं० 498/1316 के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें। प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 09.05.2022 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p> <p>9/5/22. पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश/ अन्य कार्य। दौर पर पधारें हैं, मिसल दिनांक 6/6/22 पेश हो।</p>	



6/10/22

जरील जायत उपाय जायत स्वयं उपाय  
जायत अजरी जायत लज उपाय  
पसलत गरी पारत ही भजत  
जरील जरील जायत पत्र खागीत  
दिवस लजत ही पसलत पैसत  
जरील हीत दाखिल दफतर ही

सहायक  
S. S. S.

सहायक कलेक्टर  
हीडवाना (नागौर)

दिनांक

जायत लजत पसलत हीत उपाय  
जरील जायत लजत पसलत हीत उपाय

जायत लजत पसलत हीत उपाय  
जरील जायत लजत पसलत हीत उपाय

दिनांक

जायत लजत पसलत हीत उपाय  
जरील जायत लजत पसलत हीत उपाय